(84)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी-0280/2019/दतिया/भू.रा.

श्री राम सेवक शर्मा द्वारा आज दिनांक 20-2-19 को प्रस्तुत। पेशी दिनांक 8-3-2019 20-2-19

रामसेवक शर्मा अधिवक्ता 20-2-19

1. मूलचन्द पुत्र बिहारी जाति साहू उम्र 51 वर्ष
2. श्रीमती सरजू पत्नी स्व. बिहारी, उम्र 75 साल
3. गिरजा पुत्री बिहारी, उम्र 31 साल
4. हरिमोहन पुत्र बिहारी, उम्र 36 साल
5. सुनील पुत्र कमलेश, उम्र 20 साल
6. पूजा पुत्री कमलेश, उम्र 18 साल, समस्त जाति साहू, निवासीगण ग्राम बेलुआ, तहसील इन्दरगढ जिला दतिया म.प्र. --- आवेदकगण

विरुद्ध

1. रवि पुत्र सुखराम उम्र 23 साल
2. सुखराम पुत्र बिहारी, उम्र 46 साल

समस्त जाति साहू निवासी ग्राम बेलुआ तहसील इन्दरगढ जिला दतिया म.प्र. ---- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, नये संशोधन अधि. म.प्र.भू.रा.स. विरुद्ध आदेश दिनाक 4.10.18 द्वारा पारित न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग प्र. क्र. 832/15-16 अपील मूलचन्द विरुद्ध रवि के निर्णय से दुखी होकर।

श्रीमान जी,

हम आवेदकगण की निगरानी तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, ग्राम बेलुआ के सर्वे क्रमांक 197 रकबा 1.28 हैक्टेयर एवं सर्वे क्र. 243 रकबा 0.94 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.22 हैक्टेयर में से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण कमांक निगरानी / दतिया / भू0रा0 / 2019 / 280

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ताक्षर
3/5/19	यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 832/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-10-2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने जा चुके हैं। 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के कम में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 4-10-2018 के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर में दिनांक 20-2-2019 को प्रस्तुत हुई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 में हुये संशोधन वर्ष 2018 (प्रभावशील दिनांक 25-9-18) के अनुसार धारा 50 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है- धारा 50 (2) - पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन - (क) इस संहिता के अधीन अपीलीय किसी आदेश के विरूद्ध, (ख) इस संहिता के अधीन द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध । ग्रहण नहीं किया जायेगा। संहिता में हुये उक्तानुसार संशोधन के फलस्वरूप द्वित्तीय अपील में आयुक्त, ग्वालियर संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-10-2018 के विरूद्ध दिनांक 20-2-2019 को प्रस्तुत पुनरीक्षण ग्राह्य योग्य नहीं होने अमान्य किया जाता है। सदस्य	